"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023 — फाल्गुन 22, शक 1944

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (फाल्गुन 22, 1944)

क्रमांक–3192/वि.स./विधान/2023.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) जो सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023.

विषय सूची

खण्ड	विवरण
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2.	परिभाषायें
3.	अधिकारी.
4.	पदनामित समिति का गठन.
5.	निपटान हेतु पात्रता.
6.	आवेदन प्रस्तुत करने का प्ररूप एवं रीति.
7.	उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय से अपील प्रत्याहरण का साक्ष्य.
8.	निपटान आदेश जारी करना.
9.	आदेश अथवा सूचनापत्र की तामिली.
10.	निपटान राशि का निर्धारण.
11.	सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई राशि का समायोजन एवं बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति, यदि कोई हो, का निपटान.
12.	भुगतान करने का प्ररूप एवं रीति.
13.	निपटान प्रमाण पत्र जारी करना.
14.	अपील.
15.	त्रुटियों का परिशोधन.
16.	निपटान हेतु निर्बंधन एवं शर्तें.
17.	निपटान आदेश का प्रतिसंहरण.
18.	प्रतिदाय.
19.	निपटान किये गये प्रकरण को पुनर्जीवित करने हेतु वर्जन.
20.	परिसीमा अवधि.
21.	अधिकारियों का संरक्षण.
22.	कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.
23.	नियम बनाने की शक्ति.
24.	इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.
	अनुसूची.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023.

छत्तीसगढ़ राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र. 2 सन् 1959), छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र. 74 सन् 1956), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005), छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976), छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्र. 16 सन् 1995) और छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्र. 13 सन् 1988) तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिये कमशः इसमें इसके पश्चात् दर्शाये जाने के प्रयोजन के लिये विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत उद्ग्रहित, देय या अधिरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति के बकाया के निपटान के लिये एवं उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 कहलायेगा। **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम के प्रावधान उस तिथि से प्रवृत्त होंगे, जिसको कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– **परिभाषायें.**

(क) **"अपीलीय प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है आयुक्त;

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो आवेदन करने हेतु पात्र हो तथा इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन ऐसा आवेदन प्रस्तुत करता हो;

(ग) "आवेदन" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबधो के अधीन प्रस्तुत आवेदन;

(घ) "बकाया" से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ऐसे कर और/या ब्याज और/या शास्ति की राशि, जो यथास्थिति,–

(एक) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत् किसी सांविधिक आदेश के अनुसार निर्धारिती द्वारा देय राशि; अथवा

(दो) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत स्व–निर्धारण विवरण पत्र में देय होना स्वीकृत और जिसका कि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भुगतान नहीं किया गया हो; अथवा

(तीन) छत्तीसगढ़ मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 41 के अनुसार प्रस्तुत किये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन में अवधारित एवं देय होना अनुशंसित; अथवा

(चार) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में जारी किसी सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट; अथवा

(पांच) जहां सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के संबंध में कोई सूचना पत्र जारी न हुआ हो और ऐसे कर और/या ब्याज और/या शास्ति का बकाया विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित हो, निर्धारिती द्वारा देय होना अवधारित; अथवा

(छः) ऐसी राशि, जिसका सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के अनुपालन में निर्धारित नहीं किया गया हो, जो ऐसे आदेश के पारित नहीं होने पर, निर्धारित किया गया होताः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित को बकाया के रुप में बरता नहीं जायेगाः–

(एक) सुसंगत अधिनियम के अधीन संग्रहित कर की राशि;

(दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण पत्र अथवा पुनरीक्षित विवरण पत्र में दर्शित देंय कर या ब्याज की राशि;

(तीन) सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अधीन समपहृत की गई राशि;

(चार) सुसंगत अधिनियम के अधीन स्त्रोत पर काटी गई कर (टीडीएस) की राशि;

(पांच) सुसंगत अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के किसी भी चरण में आवेदक द्वारा भुगतान किये जाने हेतु स्वीकार किये गये कर और/या ब्याज और/या शास्ति की राशि;

(ड.) "**निर्धारिती**" से अभिप्रेत है ऐसे व्यवसायी (व्यापारी) अथवा कोई व्यक्ति, जो सुसंगत अधिनियमों के अधीन निर्धारित, स्व–निर्धारित या पुर्ननिर्धारित कर के भुगतान के लिये दायित्वाधीन हो और/या अधिरोपित या संगणित ब्याज और/या शास्ति के भुगतान के लिये दायित्वाधीन हो;

(च) "**प्रकरण**" से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशिष्ट व्यापारी या व्यक्ति के लिये किसी विशिष्ट कालखण्ड हेतु ऐसे कर निर्धारण, स्व–कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या शास्ति या अन्य कार्यवाही, जिसके कारण व्यवसायी अथवा

किसी व्यक्ति पर कर और/या ब्याज और/या शास्ति बकाया हो;

(छ) "**आयुक्त**" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी, जिसे छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन वाणिज्यिक कर आयुक्त, नियुक्त किया गया हो;

(ज) "**पदनामित समिति**" से अभिप्रेत है धारा 4 में निर्दिष्ट समिति;

(झ) "**प्ररूप**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के द्वारा विहित प्ररूप;

(ञ) "**माल और सेवा कर अधिनियम**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017);

(ट) "**शासन**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ठ) "**निपटान आदेश**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति के निपटान हेतु जारी आदेश;

(ड) "**व्यक्ति**" से अभिप्रेत है,–

(एक) कोई व्यष्टि ;

(दो) कोई हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब;

(तीन) कोई कंपनी;

(चार) कोई सोसाइटी;

(पांच) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(छः) कोई फर्म;

(सात) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं;

(आठ) शासन, केन्द्र शासन अथवा कोई अन्य राज्य शासन अथवा उनके उपक्रम अथवा उनके विभाग;

(नौ) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) की धारा 2 की उप–धारा (69) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी;

(दस) इस अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित निर्धारिती;

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित व्यापारी;

(ढ) **"विहित"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ण) **"सुसंगत अधिनियम"** से अभिप्रेत है दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूर्व प्रचलित निम्नलिखित अधिनियम, जो बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति के संबंध में प्रयोज्य हों, अर्थात्:–

(एक) छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र. 2 सन् 1959);

(दो) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995);

(तीन) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र. 74 सन् 1956);

(चार) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005);

(पांच) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976);

(छः) छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तु पर कर अधिनियम, 1988 (क्र. 13 सन् 1988);

(सात) छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्र. 16 सन् 1995);

(त) "**अनुतोष**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अनुदत्त अनुतोष;

(थ) "**निपटान प्रमाण पत्र**" से अभिप्रेत है धारा 13 के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाण पत्र;

(द) "**अनुसूची**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची;

(ध) "**निपटान राशि**" से अभिप्रेत है ऐसी राशि, जो पदनामित समिति द्वारा अनुसूची–क एवं इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार इसके निपटान आदेश में अनुतोष की गणना उपरांत अवधारित की गई हो;

(न) "**विनिर्दिष्ट कालखण्ड**" से अभिप्रेत है 30 जून, 2017 को अथवा उसके पूर्व का कोई कालखण्ड;

(प) "**स्व–कर निर्धारण**" से अभिप्रेत है किसी निर्धारिती द्वारा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत प्रस्तुत विवरण पत्र या पुनरीक्षित विवरण पत्र, जिसे सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्वीकार किया गया हो एवं कर निर्धारण किया गया समझा गया हो;

(फ) "**सांविधिक आदेश**" से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत पारित कोई आदेश।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वहीं अर्थ होंगे, जैसा कि सुसंगत अधिनियमों में उनके लिये कमशः समनुदेशित है।

अधिकारी. 3. इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों के पदनाम का अर्थ वही होगा, जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 3 में उनके लिये कमशः समनुदेशित है।

4. एक पदनामित समिति होगी, जिसका गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। पदनामित समिति का गठन.

5. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधो के अध्यधीन कोई व्यक्ति, चाहे वह सुसंगत अधिनियमों के अधीन पंजीकृत हो अथवा नहीं, विनिर्दिष्ट कालखण्ड से संबंधित कर और/या ब्याज और/या शास्ति की बकाया के निपटान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा, चाहे सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत ऐसी बकाया किसी अपील, पुनरीक्षण अथवा किसी विधि न्यायालय में न्यायाधीन हो अथवा नहीं। निपटान हेतु पात्रता.

(2) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 25 की उप–धारा (7) के अधीन किश्तों में भुगतान हेतु अनुज्ञात किया गया हो, वह भी यथा विहित रीति से निपटान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 का लाभार्थी रहा हो, वह भी यथा विहित रीति से इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा।

(4) पदनामित समिति, ऐसे आवेदन के परीक्षण पर, कोई भिन्नता अथवा त्रुटि पाती है, तो ऐसे आवेदन को, इस अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष हेतु अपात्र मान्य किया जायेगा।

6. इस अधिनियम के अधीन आवेदन ऐसी रीति में एवं ऐसे प्ररूप में एवं ऐसी अवधि के लिए, प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए: आवेदन प्रस्तुत करने का प्ररूप एवं रीति.

परंतु शासन, अधिसूचना द्वारा, आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को विस्तारित कर सकेगा।

उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय से अपील प्रत्याहरण का साक्ष्य.

7. उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय या वाणिज्यिक कर अधिकरण या अपीलीय प्राधिकारी, यथास्थिति, के समक्ष सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत दायर अपील, रिट याचिका अथवा संदर्भ के प्रत्याहरण का साक्ष्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत निःशर्त रूप से होगा एवं धारा 6 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के लिये पूर्व–अपेक्षा के रुप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

निपटान आदेश जारी करना.

8. (1) पदनामित समिति, आवेदन का सत्यापन करने के पश्चात् और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से विहित अवधि के भीतर, विहित प्ररुप में, निपटान राशि विनिर्दिष्ट करते हुये, निपटान आदेश जारी करेगी:

परन्तु यदि पदनामित समिति, ऐसे आवेदन पत्र के विशिष्टियों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् आवेदन को अनुपयुक्त पाती है, तो आवेदन को आदेश द्वारा ऐसी अवधि के भीतर निरस्त करेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) आवेदक, निपटान आदेश में यथा विनिर्दिष्ट निपटान राशि का भुगतान, ऐसे आदेश के जारी किये जाने के 15 दिवस के भीतर करेगा ।

आदेश अथवा सूचनापत्र की तामिली.

9. आदेश अथवा सूचनापत्र, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये ई–मेल पते या पंजीकृत डाक के द्वारा तामिल किया जा सकेगा। ई–मेल के माध्यम से तामिल किये जाने पर, ई–मेल प्रेषण की तारीख, सूचना की प्राप्ति की तारीख होगी।

निपटान राशि का निर्धारण.

10. इस अधिनियम के अंतर्गत निपटान राशि की संगणना, अनुसूची–क एवं इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई राशि का समायोजन एवं बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति, यदि कोई हो, का निपटान.

11. (1) सुसंगत अधिनियम अथवा इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी,–

(क) यथास्थिति, किसी सांविधिक आदेश के संबंध में किये गये कोई भुगतान अथवा अपील में किये गये कोई भुगतान अथवा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के संबंध में किए गए कोई भुगतान, जो विहित तिथि को या उसके पूर्व किया गया हो, को ऐसे बकाया कर, ब्याज या शास्ति में क्रमशः समायोजित की जायेगी, जैसा कि पदनामित समिति के द्वारा इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित किया जाये:

परंतु यदि उपरोक्त पैरा में यथा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किया गया कोई भुगतान, ऐसी निपटान राशि से अधिक है, जैसा कि इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार पदनामित समिति द्वारा अवधारित किया जाये, तो वापसी का दावा नहीं किया जायेगा या वापिसी अनुज्ञात नहीं की जायेगी:

परंतु यह और कि खण्ड (क) के अधीन समायोजन के लिए अनुपात का अवधारण पदनामित समिति द्वारा की जाएगी।

(ख) इस अधिनियम के अधीन उन बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति, यदि कोई हो, का निपटान नहीं किया जायेगा, जिन प्रकरणों में विहित तिथि के पश्चात् सांविधिक आदेश पारित किया गया हो।

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट तिथि को, शासन द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से, विस्तारित किया जा सकेगा।

भुगतान करने का प्ररूप एवं रीति.

12. निपटान राशि का भुगतान ऐसे प्ररुप में तथा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए:

परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत किस्त सुविधा के माध्यम से निपटान की राशि के भुगतान हेतु कोई भी व्यक्ति पात्र नहीं होगा।

निपटान प्रमाणपत्र जारी करना.

13. (1) पदनामित समिति, संतुष्ट हो जाने पर कि, आवेदक ने उसके द्वारा अवधारित की गई राशि का संपूर्ण भुगतान कर दिया है एवं ऐसे भुगतान का सबूत जमा कर दिया है, तो निपटान प्रमाणपत्र ऐसी रीति में एवं ऐसे प्ररूप में एवं ऐसी अवधि के भीतर, जारी किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत देय निपटान राशि के संबंध में, जारी प्रत्येक निपटान प्रमाणपत्र, उसमें उल्लिखित विषयों एवं कालखण्डों हेतु निश्चायक होगा एवं,–

(क) निपटान प्रमाणपत्र में आविष्ट विषय एवं कालखण्ड से संबंधित अन्य कोई कर और/या ब्याज और/या शास्ति के भुगतान हेतु आवेदक उत्तरदायी नहीं होगा;

(ख) निपटान प्रमाण पत्र में आविष्ट विषय एवं कालखण्ड से संबंधित प्रकरणों में सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को अभियोजित नहीं किया जायेगा;

(ग) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत, निपटान प्रमाणपत्र में आविष्ट विषयों एवं कालखण्ड के संबंध में, किसी कार्यवाही में कोई प्रकरण पुर्नसंस्थित नहीं की जायेगी।

(3) निपटान प्रमाण पत्र में विषय एवं कालखण्ड, जो आविष्ट नहीं है, के संबंध में सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी अथवा जारी रहेगी।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसे मामलों में निपटान प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा, जिसमें पदनामित समिति, धारा 8 की उप–धारा (2) के अनुक्रम में भुगतान की गई राशि को निपटान आदेश में उल्लिखित राशि से कम पाती है :

परन्तु यह कि आवेदक द्वारा जमा की गई ऐसी राशि को समपहृत समझा जायेगा और सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा।

14. पदनामित समिति द्वारा धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन जारी आदेश के विरूद्ध, ऐसे आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर, आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। अपील के लिये आवेदन प्रस्तुत होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर, आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जायेगा तथा आदेश जारी किया जाएगा। अपील.

15. निपटान आदेश में, ऐसे गणनात्मक अथवा लिपिकीय त्रुटि, जो अभिलेख को देखने से स्पष्ट हो, को आवेदक द्वारा इंगित किये जाने पर अथवा स्वप्रेरणा से, पदनामित समिति, निपटान आदेश के जारी किये जाने की तिथि से 30 दिवस के भीतर, परिशोधित कर सकेगी। त्रुटियों का परिशोधन.

16. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई कोई राशि,– निपटान हेतु निर्बंधन एवं शर्तें.

(क) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत आगत कर छूट के माध्यम से भुगतान नहीं की जाएगी;

(ख) किसी भी परिस्थिति में प्रतिदाय प्रदान नहीं किया जाएगा;

(ग) सुसंगत अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत,–

(एक) आगत कर छूट या प्रत्यय के रूप में नहीं ली जा सकेगी;

या

(दो) कोई व्यक्ति, आगत कर छूट या प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रत्यय सेट ऑफ लिया गया हो तथा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) के अधीन उसके इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में उक्त क्रेडिट दर्शित हो, जब तक कि राशि के समतुल्य केडिट का, जिसके लिये निपटान आवेदन प्रस्तुत किया गया है, इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में डेबिट करके, निपटान आवेदन के प्रस्तुत करने की तिथि को या उसके पूर्व, विर्पयय न किया गया हो।

(3) सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकरण, जिसमें छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण एवं पुनरीक्षण प्राधिकरण शामिल है, विनिर्दिष्ट कोलखंड से संबधित एक अथवा एक से अधिक विवाद्यकों अथवा सभी विवाद्यकों के संबंध में एवं उस सीमा तक, जिसके लिए आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत किसी अपील या पुनरीक्षण का विनिश्चय करने हेतु तब तक अग्रसर नहीं होंगे, जब तक कि ऐसा आवेदन, पदनामित समिति एवं आयुक्त द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकरण सहित किसी अन्य अधिकारी, उन विवाद्यकों की सीमा तक, जिनके लिए आवेदक द्वारा निपटान हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही करने हेतु अग्रसर हो सकेंगे।

निपटान आदेश का प्रतिसंहरण.

17. (1) धारा 13 की उप–धारा (2) एवं धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहां पदनामित समिति को यह प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निपटान का लाभ प्राप्त करने में, किन्हीं तात्विक सूचना अथवा विशिष्टियों का अवक्रमण करते हुये अथवा कोई त्रुटिपूर्ण या मिथ्या सूचना प्रस्तुत करते हुए, सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही से संबंधित विशिष्टियों को छिपाई गई है, तो पदनामित समिति, कारणों को लेखबद्ध करते हुए एवं आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निपटान आदेश की तिथि से 1 वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के अंतर्गत जारी उक्त निपटान आदेश को प्रतिसंहरित कर सकेगी।

(2) यदि कोई निपटान आदेश उप–धारा (1) के अधीन प्रतिसंहरित होता है, तो सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत यथास्थिति, कर निर्धारण, पुनरीक्षण, अपील या अन्य कोई कार्यवाही, जो कि उस निपटान आदेश के अन्तर्गत आविष्ट था, धारा 13 की उप–धारा (2) एवं धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यथास्थिति, ऐसे प्रतिसंहरण तथा ऐसे कर निर्धारण, पुनरीक्षण, अपील अथवा अन्य कोई कार्यवाही, तत्काल पुनर्जीवित अथवा पुनःसंस्थापित हो जायेगी एवं सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में जारी एवं विनिश्चत की जायेगी मानों कि बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति का कोई निपटान आदेश कभी पारित ही नहीं हुआ है तथा सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रावधानित सीमा अवधि के होते हुये भी, यथास्थिति, ऐसे कर निर्धारण, पुनरीक्षण या अपील के प्रकरणों का निर्वर्तन, ऐसे प्रतिसंहरण आदेश के पारित दिनांक से 1 वर्ष के भीतर, संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

प्रतिदाय.

18. कोई आवेदक किन्ही भी परिस्थितियों में इस अधिनियम के अधीन भुगतान की गई राशि के प्रतिदाय हेतु पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार निपटान आदेश के प्रतिसंहरित होने की स्थिति में, इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि को, सुसंगत अधिनियम के अधीन किया गया भुगतान समझा जायेगा।

निपटान किये गये प्रकरण को पुनर्जीवित करने हेतु वर्जन.

19. इस अधिनियम के अधीन जारी निपटान आदेश, उन बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति के निपटान के संबंध में, जो कि उस आदेश में आविष्ट हो, निश्चायक होंगे तथा कोई भी मामले, जो ऐसे निपटान आदेश में आविष्ट है, को सुसंगत अधिनियमों के अधीन किसी भी अन्य कार्यवाही हेतु पुर्नजीवित नहीं किया जाएगा।

परिसीमा अवधि.

20. (1) परिसीमा अधिनियम, 1963 (क. 36 सन् 1963) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी भी आवेदन को, इस अधिनियम के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये विहित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन परिसीमा के संबंध में किसी विसंगति का विनिर्धारण, आयुक्त के द्वारा किया जायेगा एवं आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन परिसीमा अवधि ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाए।

अधिकारियों का संरक्षण.

21. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध, इस अधिनियम के अथवा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशयित किसी भी कार्य के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होंगी।

22. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य शासन, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों के निराकरण करने के प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगा। कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

23. राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगा । नियम बनाने की शक्ति.

24. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के अतिरिक्त सुसंगत अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुये भी, प्रभावी होंगे। इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.

अनुसूची–क

(धारा 10 देखिये)

इस अधिनियम के अंतर्गत निपटान राशि का निर्धारण

स. क्र.	मानदण्ड	भुगतान की जाने वाली राशि का प्रतिशत	अनुतोष का प्रतिशत
1.	सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर के संबंध में जहां ऐसे कर की राशि रू 50 लाख या उससे अधिक है।	60%	40%
2.	सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर के संबंध में जहां ऐसे कर की राशि रू 50 लाख से कम है।	40%	60%
3.	सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया ब्याज के संबंध में	10%	90%
4.	सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया शास्ति के संबंध में	0%	100%

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः, छत्तीसगढ़ राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976, छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994, छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा क्रमशः इसमें इसके पश्चात् दर्शाये जाने के प्रयोजन के लिये विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहित, देय या अधिरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति के बकाया के निपटान हेतु एवं उससे संबंधित या आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने हेतु एवं लम्बे समय से विवादित न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए, जिससे कि उक्त प्रकरणों में शासन के स्थापना एवं अन्य उपगत व्ययों को न्यूनतम किया जा सके एवं साथ ही सुसंगत अधिनियम के अधीन लम्बी अवधि से बकाया राशि, जो कि व्यवसाय बंद होने अथवा अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने आदि कारणों से वसूल नहीं किया जा सका है, ऐसे बकाया राशि के निपटान के प्रयोजन से एवं अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं केन्द्र सरकार द्वारा भी ऐसी योजना लागू की गई है, जिसके तारतम्य में साथ ही जुलाई, 2017 से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के स्थान पर जीएसटी अधिनियम लागू होने से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 प्रस्तावित है।

अतएव, उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 के खंड–2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 20, 22 एवं 23 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनायें है, जो सामान्य स्वरूप की है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.